

लेखपत्र का सांकेतिक विवरण

आवेदन सं.

लेखपत्र सं.

1. लेखपत्र का प्रकार - स्थास पत्रक / इफडी मु. ५००० - रु. ८
2. सम्पत्ति का सरकारी बाजारी मूल्य - X प्रतिफल X
3. दिया गया कुल रटाम्प शुल्क - ५०० - उपयोग
4. भूमि/सम्पत्ति का प्रकार - X
5. सम्पत्ति प्राप्ति का स्रोत - X
6. ग्राम/मौहल्ला /गांव: विभाष्टपुर रोड भिलाड वार्ड नं. वी-कोड
7. सम्पत्ति का गाठा सं. - X
8. यूनिक कोड संख्या - X
9. धेत्रफल/कुल विक्रीत रकबा - X
10. आंच्छादित क्षेत्रफल - X निर्माण का वर्ष
11. सड़क की स्थिति - विभाष्टपुर रोड भिलाड
12. रोगमेन्ट का नाम यदि कोई हो - X
13. ऐड/डोरिंग/कुआं - X
14. चौहदी - पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण
15. मूल्यांकन की दर - X प्रारूप X पृष्ठ X क्रमांक X कॉलम सं. X
16. सामान्य निर्देश (यदि कोई लागू हो तो) - X
17. लेखपत्र के तैयारकर्ता एवं पक्षकारों व गवाहों के फोटो प्रमाणित करने वाले अधिवक्ता/ प्रलेखक का नाम - रमेश चन्द्र राजी रजिन नं. 6734107
18. यदि लेखपत्र किसी न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रस्तुत हो रहा है तो न्यायालय का नाम वाद संख्या - नहीं

लेखपत्र के निष्पादक/प्रथम पक्ष
के ह०/अ० चिन्ह*kaushal*लेखपत्र के निष्पादक/द्वितीय पक्ष
के ह०/अ० चिन्ह*पृष्ठा देवी*

19. प्रथम पक्ष की सं0 02

20. प्रथम पक्ष का विवरण—

नाम कापल देवी

पिता/पति का नाम डालचन्द्र

पता निष्ठा हॉल मैल

व्यवसाय ट्राइलर एम्युल

मोबाइल नं0 9899719646

पैन नं0 AH7R2T19646

पहचान पत्र का प्रकार आ-कार्ड

पहचान पत्र का नं0 37703393153

प्रथम पक्ष का विवरण—

नाम भूमात्र पुष्पा देवी

पिता/पति का नाम कापल देवी

पता निष्ठा हॉल मैल

व्यवसाय ट्राइलर

मोबाइल नं0 9045702400

पैन नं0 X

पहचान पत्र का प्रकार आ-कार

पहचान पत्र का नं0 65940222396

प्रथम पक्ष का विवरण—

नाम

पिता/पति का नाम

पता

व्यवसाय

मोबाइल नं0

पैन नं0

पहचान पत्र का प्रकार

पहचान पत्र का नं0

लेखपत्र के निष्पादक/प्रथम पक्ष

के ह0/अ0 चिन्ह

bewild



द्वितीय पक्ष की सं0

द्वितीय पक्ष का विवरण

नाम

पिता/पति का नाम

पता

व्यवसाय

मोबाइल नं0

पैन नं0

पहचान पत्र का प्रकार

पहचान पत्र का नं0

द्वितीय पक्ष का विवरण

नाम

पिता/पति का नाम

पता

व्यवसाय

मोबाइल नं0

पैन नं0

पहचान पत्र का प्रकार

पहचान पत्र का नं0

द्वितीय पक्ष का विवरण

नाम

पिता/पति का नाम

पता

व्यवसाय

मोबाइल नं0

पैन नं0

पहचान पत्र का प्रकार

पहचान पत्र का नं0

लेखपत्र के निष्पादक/द्वितीय पक्ष

के ह0/अ0 चिन्ह

पुष्पा देवी



21. गवाह नं० 1 का विवरण—

नाम रमेश राकेश लमाड
 पिता / पति का नाम राकेश लमाड
 पता ५० उत्तराखण्ड लखनऊ
 जिला लखनऊ
 व्यवसाय अध्यापक
 मोबाइल नं० 9055482400
 पहचान पत्र का प्रकार आ-कार्ड
 पहचान पत्र का नं० १८७०००७७१०

गवाह नं० 2 का विवरण—


नाम जगद्दुभाई गलापुर
 पिता / पति का नाम गलापुर
 पता ५० उत्तराखण्ड लखनऊ
 जिला लखनऊ
 व्यवसाय अध्यापक
 मोबाइल नं० 74578737
 पहचान पत्र का प्रकार आ-कार्ड
 पहचान पत्र का नं० ९३६५८१७२८१२९

लेखपत्र के निष्पादक / प्रथम पक्ष
के ह० / अ० चिन्ह



लेखपत्र के निष्पादक / द्वितीय पक्ष
के ह० / अ० चिन्ह

पृष्ठा देवी



भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 188366

न्यास पत्रक / ट्रस्ट डीड

स्टाम्प 500 रुपये

मैं कपिल देव पुत्र श्री डालचन्द R/O बिलासपुर रोड मिलक तहसील व कस्बा मिलक जिला रामपुर (उ०प्र०) का निवासी हूँ जो कि पश्चात ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में उल्लिखित हूँ। आज दिनांक 25-08-2018 को ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र का निष्पादन कर रहा हूँ। मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थायी मानव कल्याण, सुख, शान्ति, संगठन, समाज सेवा के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की जाए तथा उंपुर्यक्त की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों उपसाधनों को संग्रह किया जाए। इसके निमित्त प्रारम्भ में रूपये 5,000/- (पाँच हजार) रुपये प्रदान करता हूँ।

- 1- नाम :- इस ट्रस्ट का नाम G.LALAND PRANEEL MEMORIAL TRUST होगा।
- 2- कार्यालय :- ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय, बिलासपुर रोड मिलक, जिला रामपुर 243701 पर स्थित है तथा ट्रस्ट के उपकार्यालय समय-समय पर यथा उचित स्थानों पर भारतवर्ष और विदेशों में कहीं भी नियम अनुसार स्थापित किये जा सकते हैं।
- 3- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष और नियम अनुसार विदेशों में भी होगा।
- 4- मुख्य उददेश्य :- ट्रस्ट का मुख्य लक्ष्य एवं उददेश्य पूर्णरूप से प्राणी मात्र के हितार्थ होगा और इसकी अन्य देश-विदेशों में किसी प्रकार की अन्य कल्याणकारी संस्थाओं/ट्रस्टों की स्थापना एवं उनके परीक्षण करने में बिना किसी पक्षपात्र के संर्वकल्याणार्थ प्रयोग की जायेगी।



kapildev





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 440797

इस ट्रस्ट के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

- 1 - आपसी मतभेद, हिंसा, जातिवाद एवं लिंगभेद की जगह आपसी सहयोग एवं एकता की भावना जगाना, समाज को विधिक रूप से जागरूक करना तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता पहुँचाने की व्यवस्था करना।
- 2 - विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करना तथा सूचना अधिकार, मानवाधिकार, महिला अधिकार व मूल अधिकारों के विषय भें लोगों को जागरूक करना।
- 3 - बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों व समाज के उपेक्षित और पीड़ित लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
- 4 - प्राइमरी, प्री-प्राइमरी सैकेण्डरी, सीनियर सैकेन्डरी, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज व उच्च शिक्षा विभागों से मान्यता प्राप्त करके चलाना।
- 5 - ट्रस्ट के द्वारा ऊर्जा विद्युत विभागों के लिए कार्य करना। ऊर्जा एवं लोगों का लीविंगहूड इम्प्रूव करना, टैक्नालॉजी एवेयरनेस एजूकेशन, हैल्थ के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- 6 - शिक्षा के विभिन्न विषयों पर अनुसंधान हेतु अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना और हर सम्भव सहायता प्रदान करना। साहित्य, कला और भारतीय सांस्कृतिक के उत्थान में निबन्ध, कला व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं आदि का समय-समय पर प्रयोजन करना।



bafild



पृष्ठा देखी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 440798

- 7 - किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में समस्त क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय रामपुर होगा।
- 8 - स्कूलों, कालेजों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को अन्य उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मेडीकल एजूकेशन से सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करनेव उनके संचालन सम्बन्धित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी मदद व मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्धित सलाह प्रदान करना।
- 9 - आम जनता के उपयोग के लिए कम्यूनिटी हाल, वारात घर, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, होटल, रिजॉर्ट्स, वाटर पार्क, खेती शिक्षा केन्द्र फार्म हाउस (खेती), प्राकृतिक शिक्षा केन्द्र, साधना केन्द्र, हैल्थ केयर सेन्टर, हास्टल, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, शौचालय, फारमेसी कम्पनी, हैल्थ स्टूनिट, आंगनबाड़ी, प्याऊ, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, हास्पिटल, मेडीकल कालेज-एम्बूलेन्स, स्टेडियम, स्टूडियो, मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुरुद्वारा और रात्रि निवास आदि का निर्माण करना तथा विभिन्न सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाना व इनका संचालन करना। आवश्यकता पड़ने पर लोन लेना व आवश्यक औपचारिकताये पूरी करा लोन देना। समान उद्देश्यों वाली अन्य ट्रस्ट / एनोजीओओ को आवश्यक औपचारिकताये पूरी कराकर दान देना और लेना।
- 10 - कमज़ोर बर्ग के लोगों को प्लाट / फ्लैट मुहैया कराना।



पृष्ठा देवी

kamla



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 440799

- 13 - खेलकूद, शिक्षा, राजनीति, समाजसेवा व कला आदि के क्षेत्र में उच्चीय प्रतिभावन महिलाओं, पुरुषों व बच्चों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना व अवार्ड व प्रशस्ति पत्र देना।
- 14 - ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक कहीं से भी (देश-विदेश) किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त करना।
- 15 - ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए ज्वाइंट बैंचर आधार पर कार्य करना।
- 16 - समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तके व सोविनियर प्रकाशित करना व इनके वितरण की व्यवस्था करना।
- 17 - अन्य ऐसे सभी न्याय संगत कार्य करना जो ऊपर लिखे उददेश्यों की पूर्ति के लिए सहायक या प्रासादिक हो।
- 18 - ट्रस्ट के उददेश्यों व पूर्ति के लिए वाहनों व अन्य उपकरणों की खरीद फ़रोख्त करना।
- 19 - ट्रस्ट के द्वारा अन्डरप्रीविलेज चिल्ड्रन एण्ड ओल्डऐज प्यूपिल की सहायता करना।
- 5 - आजीवन ट्रस्ट :- वर्तमान में ट्रस्ट के निम्नलिखित दो आजीवन ट्रस्टी होंगे।
 - (1) कपिल देव पुत्र श्री डालचन्द निवासी बिलासपुर रोड मिलक तहसील व कस्बा मिलक जिला रामपुर (उ०प्र०)।
 - (2) पुष्पा देवी पत्नी श्री कपिल देव निवासी बिलासपुर रोड मिलक तहसील व कस्बा मिलक जिला रामपुर (उ०प्र०)।

संस्थापक ट्रस्टी के पद का नाम चैयरमैन होगा एवं ट्रस्टी न०-२ का नाम जनरल सेकेटरी होगा।

उपर्युक्त साधारण ट्रस्टियों में ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक मिलकर कार्य करना स्वीकार किया है।



kefml

पुष्पा देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 440800

- 6 - न्यास मण्डल के अधिकार व कर्तव्य :- ट्रस्ट के फाउंडर द्वारा न्यास मंडल का गठन किया जायेगा।
- 1 - संस्थापक व सभी ट्रस्टी इस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी होंगे।
- 2 - ट्रस्ट एवं उनके द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण शिविरों की देखभाल करना।
- 3 - ट्रस्ट की आय-व्यय पर नियंत्रण करने के लिए प्रमुख ट्रस्टी को समय-समय पर अपनी राय देना।
- 4 - वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना तथा उनके वेतन और बिल आदि समयानुसार अनुमोदित कर अपनी संस्तुति सहित प्रमुख ट्रस्टी/संस्थापक से स्वीकृति लेना।
- 5 - ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल करना।
- 6 - ट्रस्ट की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक कार्यवाही व अन्य आवश्यकता उपाय प्रमुख ट्रस्टी की अनुमति से कराना।
- 7 - योजनाओं व निर्माण कार्यों को सम्पन्न करने में प्रमुख ट्रस्टी को सहयोग करना।
- 7 - ट्रस्ट के नियम व उपनियम अधिवेशन :- बोर्ड आफ ट्रस्टी/न्यास मंडल की सामान्य बैठक साल में एक बार अनिवार्य रूप से होगी तो आवश्यकता पड़ने पर बैठक प्रमुख ट्रस्टी की अनुमति से बुलाई जा सकेगी। सूचना विधि-सामान्य बैठक पाँच दिन की पूर्व सूचना पर एक दिन की पूर्व सूचना बुलाई जायेगी। जिस बैठक में अनिवार्य होगी।



bahul



पुष्पा देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 440801


- 8 - चेयरमैन/संस्थापक के अधिकार व कर्तव्य :-
- 1 - मैं, कपिल देव पुत्र श्री डालचन्द बिलासपुर रोड मिलक तहसील व कस्बा मिलक जिला रामपुर ३०५०
- 2 - ट्रस्ट के नाम पर सम्पत्ति अर्जित करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्पत्ति को बेंचने, किराये पर देने, रहन रखने का अधिकार केवल चेयरमैन का होगा।
- 3 - कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन करना व आवश्यकता प्रदान करना।
- 4 - ट्रस्ट के अधिवेशन व अन्य बैठकों व उत्सवों की अध्यक्षता करना।
- 5 - यद्यपि ट्रस्ट के सम्बन्धित सभी निर्णय बोर्ड आफ ट्रस्टी की मीटिंग में आम सहमति के आधार तय किये जायेंगे फिर भी किसी मसले पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार सदैव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी/चेयरमैन को ही होगा।
- 6 - ट्रस्ट से सम्बन्धित विवादों में पैरवी करने व अधिवक्ता नियुक्त करना।
- 7 - भवन योजनाओं की पूर्ति हेतु परामर्श समिति नियुक्त करना।
- 8 - ट्रस्ट की ओर से सब प्रकार का पत्र व्यवहार, समस्त बिल व वाउचरों पर स्वीकृति अकित करना।
- 9 - ट्रस्ट की उन्नति के लिए धन संग्रह करना, सरकारी अनुदान प्रदान करना, आय पर अधिनियम की धारा-८० जी व १२-ए के तहत ट्रस्ट के लिए आयकर के छूट प्राप्त करना व अन्य सरकारी सुविधायें प्राप्त करना।

संस्थापक ट्रस्टी इस ट्रस्ट के कार्यकलापों के सुचारू रूप से संचालन में पर्दि इत्ति ट्रस्ट में वर्णित किसी नियम में संशोधन की आवश्यकता महसूस करें अधिवक्ता किसी नये नियम को बनाना उचित समझे तो उनहें ऐसा संशोधन या नियम बनाने का पूर्ण अधिकार होगा।



prabhmlc

पठपा टेवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 440802

- 11 - नये ट्रस्टियों की नियुक्ति के साथ-साथ इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों में से किसी भी ट्रस्टी के कार्य से सन्तुष्ट न होने पर सम्बन्धित ट्रस्टी के निलम्बन अथवा निष्कासन का पूर्ण अधिकार संस्थापक ट्रस्टी/चेयरमैन को होगा।
- 12 - चेयरमैन संस्थापक ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट से सम्बन्धित किसी भी कार्य के निष्पादन हेतु स्वेच्छा से किसी भी ट्रस्टी/व्यक्ति को अपने किसी भी अधिकार को निष्कासित करने हेतु नियुक्त कर सके।
- 13 - चेयरमैन संस्थापक ट्रस्टी को अधिकार होगा कि अपने जीवनकाल में किसी को भी अपने स्थान पर ट्रस्टी घोषित कर सकते हैं। इनके द्वारा घोषित ट्रस्टी भी आजीवन ट्रस्टी होगा व अन्य किसी कारणवश चेयरमैन अपना उत्तराधिकारी मृत्यु से पूर्व घोषित नहीं कर पाते हैं तो चेयरमैन की वारिसों में सर्वसम्मति से चुना गया व्यक्ति ही चेयरमैन के स्थान पर ट्रस्टी होगा और भविष्य में भावी ट्रस्टियों के लिए यह व्यवस्था निरन्तर जारी रहेगी।
- 14 - चेयरमैन ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है जिसका कार्यकाल चेयरमैन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 9 - वित्तीय वर्ष :- ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक होगा।
- 10 - लेखा परीक्षा :- प्रतिवर्ष, नियमित रूप से किसी अधिकारित लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा कराया जायेगा।

धन व्यवस्था व बैंक खातों का संचालन :- ट्रस्ट में विभिन्न श्रोतों से हुई अपर्याप्त रूप से लेखा को ट्रस्ट के किसी भी बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट द्वारा नियन्त्रित इकाईयों/यूनिटों के सम्बन्धित सभी बैंक खाते/खातों का संचालन अपर्याप्त रूप से लेखा किया जायेगा।



jeafmld



पृष्ठा देवी